

02.2026:-पत्रवाली आज पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी को लगातार नोट करवाया जा रहा है। जिस पर को अमल नहीं किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
रामानगढ़